अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3
	न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0–161/2014 अपीलार्थी – मंजू कुमारी बनाम रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार व अन्य **आदेश** प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 702/प्रो0 दिनांक 01.02.2014 के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है। इस आँगनबाड़ी अपीलवाद में आरोप यह है कि अनुमंडल पदाधिकारी बीरपुर द्वारा दिनांक 04.06.2013 को बसन्तपुर परियोजना के केन्द्र सं0– 121 साफी टोला का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय सेविका 04 बच्चों के साथ उपस्थित थी । जबकि सहायिका केन्द्र से अनुपस्थित थी। उक्त अनियमितता के आलोक में कार्यालय पत्रांक 1103 दिनांक 23.07.2013 द्वारा सेविका श्रीमती मंजू कुमारी एवं सहायिका श्रीमती अनीला देवी से स्पष्टीकरण की माँग की गई एवं दिनांक 31.07.2013 को अपने –अपने स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया निर्धारित तिथि को सेविका अपने स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित हुई अपने स्पष्टीकरण में सेविका ने बतलाया कि मैं निरीक्षण तिथि को मैं एक और अपने प्रभार वाले आँगनबाड़ी केन्द्र सं0– 117 पर चली गई थी तथा केन्द्र की सहायिका केन्द्र पर आकर बच्चों को बुलाने उनके घर गई थी बुलाने	

के क्रम में सहायिका को पेट में अचानक काफी दर्द होने लगा था दर्द की सूचना मुझे अतिरिक्त प्रभार वाले केन्द्रों पर जहाँ मैं गई थी शीघ्र मिला एवं मैं आनन – फानन में ही शीघ्र केन्द्र सं0– 121 साफी टोला पर लौट आई ऐन वक्त पर अनुमंडल पदाधिकारी बीरपुर निरीक्षण हेतु पहुँच गए। मैं केन्द्र को सूचारूरूप में चलाने हेतु प्रयास करने लगी तथा आस–पास के बच्चों को भी लाने हेतु प्रयास की इसी बीच अचानक वर्षा भी होने लगी। सहायिका जो बच्चों को बुलाने गई थी एवं रास्ते में ही पेट में दर्द होने के वजह से रूक गई थी ज्ञातब्य हो कि सहायिका उस समय Pregnant Period से गुजर रही थी पेट दर्द के कारण अंततः सहायिका को चिकित्सक के पास जाना पड़ा ।

इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में हुई जिसमें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता/सरकारी अधिवक्ता ने बहस में हिस्सा लिया एवं अपना–अपना पक्ष रखा । अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश ज्ञापांक 702 दिनांक 01.02.2014 पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है इसमें as per sprit of law का पालन नहीं किया गया है आदेश Routine manner. में दिया गया है इसमें न्यायिक दृष्टि का प्रयोग नहीं किया गया है जो इस प्रकार समझा जा सकता है । जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश इस आधार पर भी खारिज करने योग्य है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के द्वारा जो नोटिस दिनांक 23.07.2013 को निर्गत किया जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी बीरपुर के द्वारा तथा कथित निरीक्षण टिप्पणी अंकित किया गया है, लेकिन नोटिस के साथ तथा कथित निरीक्षण टिप्पणी की प्रति अपीलार्थी को नहीं दिया गया है। जिससे अपीलार्थी के विरूद्ध क्या आरोप लगाए गए है सही जानकारी नहीं मिला जबकि विभागीय पत्रांक 1998 दिनांक 12.06.2012 में कंडिका 2 में वर्णित है कि लगाए गए आरोप की एक प्रति अपीलार्थी को भी देना अनिवार्य है जिसका अनुपालन नहीं किया गया अपीलार्थी के द्वारा जो कारण पृच्छा दाखिल किया गया उसमें उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी आँगनबाड़ी केन्द्र सं0– 117 प्राथमिक स्कूल हृदय नगर के प्रभार में भी थी जो प्रश्नगत केन्द्र सं0– 121 से 3 किलो मीटर दूर है एवं वही चली गई थी एवं सहायिका बच्चों को लाने गई थी जहाँ पेट दर्द से पीड़ित हो गई एवं स्थिति की जानकारी मिलने पर अपीलार्थी सेविका आँगनबाड़ी केन्द्र सं0– 121 पर पहुँच गई थी जहाँ उस समय तक 21 बच्चें आ गए थे जिसकाउपस्थिति भी उपस्थिति पंजी में दर्ज था उन्होंने (निरीक्षी पदाधिकारी ने) उपस्थिति पंजी में 19 अनुपस्थिति बच्चों की हाजरी

को Cross किए है एवं नीचे अपना हस्ताक्षर अंकित किए है। उपस्थिति पंजी में 21 बच्चों की उपस्थिति दर्ज है। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी बीरपुर के द्वारा सही तथ्य अंकित नहीं किया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि दिनांक 04.06.2013 को जो निरीक्षण हुआ उसमें विभागीय पत्रांक 956 दिनांक 14.03.2012 के विरूद्ध तैयार किया गया है क्योंकि स्थल पर जाकर न तो पोषक क्षेत्र के किसी लाभुकों का न ही किसी अभिभावकों का कोई बयान लिया गया कि निरीक्षण तिथि को केन्द्र का संचालन समुचित ढंग से किया गया है अथवा नहीं, जबकि उसी विभागीय पत्रांक के कंडिका (iii) के (i) में स्पष्ट अंकित है कि जाँच पदाधिकारी बिल्कुल स्पष्ट मंतब्य अंकित करेंगे ताकि निर्णय लेने में एक रूपता तथा पारदर्शिता बनी रहे केन्द्र पर पाए गए हर अनियमितताऐं के लिए लाभुकों के तीन बयान लिए जायेंगे यहाँ इसका भी अनुपालन नहीं हुआ।

इसके साथ ही अपीलार्थी के अधिवक्ता ने C.W.J.C.No- 317/2014 अरवन्ति देवी बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक 13.02.2014 में स्पष्ट रूप से एक दिन के अनुपस्थिति के संबंध में जो निर्णय दिया है जो निम्न प्रकार है One days absence of an employee from her duty without leave is not such a grave charge that it may entail disengagement from her service. There fore punishment awarded to the petitioner is apparently too harse and shocking This writ application is, accordingly, allowed. The order of the District programme officer dated 24.12.11 (Annexure-3) the order of the collector dated 15.01-13 (Annexure-2) as well as the order of the Director ICDS dated 11.07.2013 (Annexure-2) are Quashed. Respondents are directed to reinstate the petitioner and reconsider the lapses on her part for the purpose of awarding any lighter punishment.

इसके साथ ही अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि सेविका का कियाकलाप पूर्व से भी काफी संतोषप्रद रहा है, जो निरीक्षण पंजी के अवलोकन करने पर दिखता है, उन्होंने निरीक्षण पंजी में विभिन्न तिथियों में किए गए निरीक्षण

टिप्पणी को पढकर बताया कि सेविका का कियाकलाप काफी संतोषप्रद रहा है। इस आधार पर भी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश मात्र एक दिन की कार्य कुशलता में हल्की कमी देखकर चयन मुक्ति आदेश निर्गत करना सही प्रतीत नहीं होता है, परिस्थितिवश चूँकि सेविका दो आँगनबाड़ी केन्द्रो के प्रभार में थी सहायिका Pregnant (गर्भवती) थी पेट में अचानक दर्द हो जाने के कारण कुछ व्यवस्था में कमी रह गई, वर्षा भी हो रही थी, यह सब कुछ परिस्थितिवश हुआ अतः अपीलार्थी (सेविका) को दिया गया चयन मुक्ति आदेश ज्ञापांक 702 दिनांक 01.02.2014 खंडित करने योग्य है, त्रुटिपूर्ण आदेश है। अतः यह न्यायालय सेविका अपीलार्थी को चेतावनी सहित आदेश निर्गत तिथि से सेविका के पद पर चयन को बरकरार रखती है। चेतावनी इसलिए भी की सेविका अपने दायित्वों/कार्यों को पुरी मुस्तैदी से करें इसमें लचीलापन नहीं होना चाहिए ।

वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

21.4.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

21.4.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा